



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 598 राँची, गुरुवार,

19 सितम्बर, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2024

संचिका सं०-03/अ०क्षे०स्था०(मुकदमा)-43/2022-3021/रा०, --

विषय:- W.P.(S) No.-7216/2012 अक्षय प्रसाद सिंह-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वार्दों यथा W.P.(S) No.-1202/2013 विकास कुमार सिन्हा बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य/W.P.(S) No.-2788/2015 मुरारी कुमार सिन्हा-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य/W.P.(S) No.-1516/2022 अरविन्द कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य/W.P.(S) No.-7258/2012 मुकेश कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य/W.P.(S) No.-7523/2012 संतोष कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-06.01.2023 एवं दिनांक-12.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वर्ष 1991 के छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों के समायोजन के संबंध में ।

W.P.(S) No.-7216/2012 अक्षय प्रसाद सिंह-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वार्दों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.01.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"Chief Secretary will look into the matter and will inform this court as to what steps the state will take in view of the affidavit filed on behalf of Union of India wherein they have accepted that all these petitioners were the retrenched census workers.

Be it noted that the state has already regularized the services of the retrenched workers but these petitioners were left out because of some wrong information communicated by the state of Bihar. The Chief Secretary will insure the compliance of this order and inform this court by filing an affidavit about the steps which the state intends to take to rectify the error".

2. उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं०-597/रा०, दिनांक-15.02.2023 द्वारा वादीगणों के दावों की समीक्षा हेतु निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया ।

3. उक्त त्रिसदस्यीय समिति द्वारा वादीगणों के दावों के समीक्षोपरांत राजस्व विभागीय जापांक-1586/रा०, दिनांक-10.05.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि "सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से समिति द्वारा W.P.(S) No.-7216/2012 अक्षय प्रसाद सिंह-बनाम-झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों में वादीगण (श्री अरविन्द कुमार को छोड़कर) विकास कुमार सिन्हा, अक्षय प्रसाद सिंह, संतोष कुमार, मुकेश कुमार एवं मुरारी कुमार सिन्हा का वर्ष 1991 के छंटनीग्रस्त कर्मी होने का प्रमाण-पत्र सही पाया गया। इस प्रकार वादीगण- श्री विकास कुमार सिन्हा, श्री अक्षय प्रसाद सिंह, श्री संतोष कुमार, श्री मुकेश कुमार एवं श्री मुरारी कुमार सिन्हा का दावा सही प्रतीत होता है"।

4. W.P.(S) No.-7216/2012 अक्षय प्रसाद सिंह-बनाम-झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-12.02.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

I hereby dispose of all these writ petition with a direction to the respondent State to consider the cases of petitioners and pass a final order for absorption of the petitioners after getting approval of the Cabinet, preferably within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

5. अतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उक्त त्रिसदस्यीय समिति के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 1991 के छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों श्री विकास कुमार सिन्हा, श्री अक्षय प्रसाद सिंह, श्री संतोष कुमार, श्री मुकेश कुमार एवं श्री मुरारी कुमार सिन्हा (सभी स्नातक उत्तीर्ण) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रणाधीन राँची जिला में वर्ग-3 के अंतर्गत चिन्हित पद राजस्व उप निरीक्षक, वेतनमान-5200-20200 ग्रेड-2000 (सातवें पुनरीक्षित वेतनमान-21700, पे मैट्रिक्स लेवल-3) के पद पर निम्नांकित शर्तों के अनुरूप समायोजित किया जाता है:-

- (i) उपायुक्त, राँची द्वारा वर्ष 1991 के जनगणना छंटनीग्रस्त कर्मियों के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जाँच करते हुए समायोजन की कार्रवाई की जायेगी ।
- (ii) नियुक्ति की तिथि से पूर्व अवधि के लिए किसी प्रकार का राशि तथा लाभ देय नहीं होगा ।

- (iii) समायोजित कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवांत लाभ वित्त विभागीय संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में देय होगा ।
- (iv) समायोजित कर्मियों के राजस्व उप निरीक्षक के पद पर योगदान की तिथि से उनकी सेवा अवधि की गणना की जायेगी ।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.09.2024 में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर

सरकार के सचिव ।
